

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
[भारत सरकार के उद्यम]
पीओ: जादूगोडा माइंस, जिला: पूर्वी सिंहभूम, झारखंड - 832 102
फोन नंबर 0657-2730122, वेबसाइट: www.uraniumcorp.in

विज्ञापन संख्या: 03/2021

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड [यूसीआईएल] पूर्व आईटीआई [एनसीवीटी] उम्मीदवारों से अपरेंटिस नियम 1992 के साथ पठित अपरेंटिस अधिनियम-1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कुल 242 [दो सौ बयालीस] (झारखंड क्षेत्र में यूसीआईएल की सभी इकाइयों के लिए) रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

1. भूतपूर्व आईटीआई एक वर्षीय ट्रेड अपरेंटिस प्रशिक्षण

क्र. सं.	नामित ट्रेड्स	योग्य आईटीआई ट्रेड्स	पदों की संख्या	यूनिट के अनुसार रिक्ति
01	फिटर	फिटर	80	जादूगोडा इकाई = 108
02	बिजली मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	80	
03	वेल्डर [गैस और इलेक्ट्रिक]	वेल्डर [गैस और इलेक्ट्रिक]	40	
04	टर्नर/मशीनिस्ट	टर्नर/मशीनिस्ट	15	नरवापहाड़ इकाई = 54
05	यंत्र मैकेनिक	यंत्र मैकेनिक	05	
06	मैक. डीजल/मैक. एमवी	मैक. डीजल/मैक. एमवी	12	तथा तुरामडीह इकाई = 80
07	बढ़ई	बढ़ई	05	
08	पलंबर	पलंबर	05	
कुल			242	

2. रिक्तियों का आरक्षण:

- क) **एससी / एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी [एनसीएल]:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी [एनसीएल] उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां अपरेंटिस नियम 1992 के नियम 5 का अनुसूची II ए के साथ पठित अपरेंटिस अधिनियम -1961 के अध्याय II की धारा 3 ए (1) और (2) और धारा 3 बी (1) और (2) दोनों के अनुसार आरक्षित हैं।
- ख) **शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए:** शिक्षता प्रशिक्षण के लिए 3% रिक्तियां शिक्षता प्रशिक्षण नियमावली के खंड 3.6.2 अध्याय III के अनुसार आरक्षित हैं।

3. योग्यता शर्त:

- क) **योग्यता:** मैट्रिक / 10 वीं पास और एनसीवीटी [नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग] से संबंधित ट्रेड में पास आईटीआई परीक्षा प्रमाण पत्र।
- ख) **आयु:** 29.10.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी [एनसीएल] उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट।
- ग) **पिछला प्रशिक्षण:** उम्मीदवार जो पहले से ही किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी औद्योगिक संगठन में अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

4. प्रशिक्षुओं को वृत्ति का भुगतान: प्रशिक्षुओं को देय प्रति माह वृत्ति की न्यूनतम दर का पालन किया जाएगा [प्रशिक्षुता नियम, 1992 का नियम 11 प्रासंगिक है]।

5. **चयन प्रक्रिया:** उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर होगा यानी संबंधित ट्रेड में आई टी आई में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर।

6. **टीए/डीए या आवास:** प्रमाणपत्रों के सत्यापन या प्रशिक्षण के स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को कोई टीए/डीए या आवास नहीं दिया जाएगा।

7. आवेदन कैसे करें:

i. पंजीकरण के लिए सरकारी पोर्टल की वेबसाइट <https://apprenticeshipindia.org> पर जाएं।

ii. **उम्मीदवार पंजीकरण:** - खुद को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में पंजीकृत करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण टैब पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल पते पर एक पुष्टिकरण ई-मेल भेजा जाएगा। उम्मीदवार को सक्रियण के लिए ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा (उदाहरण: - पंजीकरण संख्या-ए000000000) और उसके बाद उम्मीदवार को पंजीकरण की पुष्टि के लिए अपना प्रोफाइल लॉगिन पूरा करना होगा। आवेदक को अपरेंटिसशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट <https://apprenticeshipindia.org/> के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए: -

- क) मैट्रिक की मार्कशीट और आईटीआई की मार्कशीट
- ख) जाति प्रमाण पत्र [एससी / एसटी / ओबीसी [एनसीएल] के लिए केवल]
- ग) केवल शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए लागू चिकित्सा प्रमाणपत्र
- घ) फोटो और हस्ताक्षर
- ङ) आधार कार्ड और पैन कार्ड
- च) आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता

iii. **उम्मीदवार के अवसर:-** ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवार को वांछित ट्रेड का चयन करने के लिए अपरेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज टैब सेक्शन पर जिस ट्रेड में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण लेना है, क्लिक करना होगा। इसके बाद, उम्मीदवार को एक या एक से अधिक इकाई का भी चयन करना होगा अर्थात् (यूरैनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोडा / नरवापहाड़ और तुरामडीह) जिस इकाई में वह अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण लेना चाहता है।

iv. उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस विज्ञापन की 29/10/2021 तिथि से अब तक आवेदन किया है, उन्हें आगे की जांच के लिए माना जाएगा। इस विज्ञापन से पहले अपलोड किए गए सभी पिछले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।

v. 29/10/2021 तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदनों पर आगे की जांच के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8. **रोजगार:** प्रशिक्षण पूरा होने पर अपरेंटिस को नियुक्त करना अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुसार, यूसीआईएल के लिए अनिवार्य नहीं होगा। शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर यूसीआईएल में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. नोट:

क) केवल पात्रता मानदंड/मानदंडों को पूरा करने से कोई उम्मीदवार अपरेंटिस के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। प्रबंधन के पास बिना कोई कारण बताए आवेदन को अस्वीकार करने और अपरेंटिस के रूप में नियुक्ति के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए विनिर्देशों के मानक को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। चयन प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए रद्द/निलंबित/प्रतिबंधित/बढ़ाया/संशोधित किया जा सकता है। प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) झूठी सूचना को छिपाने/प्रस्तुत करने के मामले में प्रशिक्षण प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार किया जा सकता है।

ग) भूमि विस्थापित श्रेणी/परियोजना प्रभावित क्षेत्र [आर एंड आर नीति के अनुसार] और कर्मचारियों [जो यूसीआईएल की किसी भी इकाई में काम कर रहे हैं] के वार्ड से संबंधित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

- घ) आईटीआई प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो अपने प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं उपरोक्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- ङ) यूसीआईएल अपनी किसी भी इकाई में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को रख सकता है।
- च) उम्मीदवार को 10वीं और आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 10वीं और आईटीआई की मार्कशीट अपलोड किए बिना उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल पासिंग सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें मार्कशीट का उल्लेख होना चाहिए।
- छ) अपूर्ण आवेदन के संबंध में कोई संचार नहीं किया जाएगा। अधूरा आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ज) इच्छुक उम्मीदवार एनएपीएस पोर्टल <https://apprenticeshipindia.org> के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- झ) एनएपीएस पोर्टल <https://apprenticeshipindia.org> के माध्यम से प्राप्त आवेदन के अलावा किसी अन्य तरीके से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ञ) कोई अन्य जानकारी जो इस नोटिस के अंतर्गत नहीं आती है, वह अपरेंटिस अधिनियम और शिक्षुता नियमों के अनुसार लागू होगी।
- ट) किसी भी प्रकार की मध्यस्थता रांची उच्च न्यायालय [झारखंड] के अधिकार क्षेत्र में होगी।
- ठ) इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पहले पोस्ट किए गए किसी भी आवेदन पर इस विज्ञापन के तहत शिक्षुता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ड) आवेदन ऑफलाइन मोड में प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- ढ) परिणाम यूसीआईएल वेबसाइट www.uraniumcorp.in पर प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिणाम के प्रकाशन के लिए यूसीआईएल की वेबसाइट देखें। चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- ण) भूमि विस्थापित व्यक्ति / परियोजना प्रभावित लोगों और कर्मचारी पुत्र वरीयता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आवेदक के लॉगिन के "वरीयता" क्षेत्र में इसका उल्लेख करना होगा। फिर उन आवेदकों को इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले यूसीआईएल के केंद्रीय कार्मिक अनुभाग, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा / नरवापहाड़ और तुरामडीह के लिए, वरीयताओं से संबंधित सहायक दस्तावेज हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करने होंगे। डाक के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के अलावा कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- त) विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन यूसीआईएल की वेबसाइट पर दिया जाएगा।
- थ) स्क्रीनिंग और चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदकों द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी प्रस्तुत की जाए। गलत/झूठी जानकारी देना एक अयोग्यता होगी और ऐसी गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप अयोग्यता के लिए यूसीआईएल जिम्मेदार नहीं होगा।
- द) पोर्टल में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर अस्थायी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ज्वाइनिंग के दौरान मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- ध) आगे किसी भी संचार के लिए मेल करें: ucil.apprentice@uraniumcorp.in

महत्वपूर्ण तिथियाँ

उम्मीदवारों के आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत	09.10.2021
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	29.10.2021

नोट: अंग्रेजी या हिंदी संस्करण में व्याख्या के कारण उत्पन्न किसी अस्पष्टता / विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम मान्यता दी जाएगी।

_____ @@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ _____

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पी.ओ.: जादूगोड़ा माइंस, जिला: पूर्वी सिंहभूम,
झारखंड - 832 102

कर्मचारी द्वारा घोषणा जिसका वार्ड यूसीआईएल में शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर रहा है।

कर्मचारी का नाम और पता:

पदनाम:

इकाई/क्षेत्र:

कर्मचारी संख्या:

छात्र/वार्ड के साथ संबंध:

छात्र/वार्ड का नाम:

छात्र की जन्म तिथि:

अध्ययनरत संस्थान/कॉलेज का नाम:

पाठ्यक्रम का नाम:

प्रशिक्षण की आवश्यक अवधि:

टेलीफोन/मोबाइल नंबर:

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे ऊपर दी गई किसी भी गलत सूचना के मामले में कंपनी के सीडीए नियम/स्थायी आदेश के तहत भी जिम्मेदार ठहराया जाए।

स्थान:

दिनांक:

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय के उपयोग के लिए:

स्थान:

(सेवा पत्रक से उचित सत्यापन के बाद नियंत्रण/कार्मिक कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

दिनांक:

कृपया संलग्न करें:

क) छात्र को संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

ख) कर्मचारी को जारी किए गए पहचान पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।

परियोजना प्रभावित लोग (पीएपी) का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन

क्षेत्र, यूसीआईएल के कमांड क्षेत्रों के भीतर पीएपी से संबंधित है।

(संबंधित इकाई के कार्मिक अधिकारी
की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

(संबंधित इकाई के विभागाध्यक्षों
की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

छात्र/ माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि भविष्य में किसी गलत सूचना का पता चलता है तो यूसीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। मैंने इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की है:-

- क) आवासीय प्रमाण
- ख) आधार कार्ड

(छात्र के हस्ताक्षर)
नाम और पता

(माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर)
नाम और पता

भूमि विस्थापित व्यक्ति (एलडीपी) का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन

क्षेत्र, यूसीआईएल के कमांड क्षेत्रों के भीतर एलडीपी से संबंधित है।

(संबंधित इकाई के कार्मिक अधिकारी
की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

(संबंधित इकाई के विभागाध्यक्षों
की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

छात्र/ माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि भविष्य में किसी गलत सूचना का पता चलता है तो यूसीआईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। मैंने इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की है:-

- क) ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित कुर्सीनामा
- ख) अवार्ड / सर्टिफिकेट नंबर

(छात्र के हस्ताक्षर)
नाम और पता

(माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर)
नाम और पता